उत्तर प्रदेश शासन
पर्यटन अनुभाग
संख्या-515/2023/3231/001-41-2023-47-Budget-**2018**
लखनऊ दिनांक 20 जुलाई, 2023

संख्या-473/2023/2652/41-2023-47 (बजट)/2018, दिनांक 30 जून, 2023

का शुद्धि पत्र

जनपद मथुरा में भरनाखुर्द स्थित सूर्यकुण्ड के जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति सम्बन्धी जारी शासनादेश संख्या-473/2023/2652/41-2023-47 (बजट)/2018, दिनांक 30 जून, 2023 के प्रस्तर-2 में अंकित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा के स्थान पर कार्यदायी संस्था मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा अंकित किया जाता है।

2- तदनुसार सन्दर्भगत शासनादेश दिनांक 30 जून, 2023 संशोधित समझा/पढ़ा जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

भवदीय,

(रामेश्वर सिंह)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- उपाध्यक्ष, उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद मथुरा।
4- निदेशक, पर्यटन को उनके पत्र सं0-2320/6-1-1/(14) ब्र0ती0वि0प0/2018, दिनांक 14.07.2023 के क्रम में।
5- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद मथुरा।
6. उपाध्यक्ष, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
7- वरिष्ठ कोषाधिकारी, मथुरा।
8- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।,
9- मुख्य अभियन्ता, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
11- उप निदेशक पर्यटन, आगरा।
12- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
13- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(रामेश्वर सिंह)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।